<u>न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), जलेसर, एटा।</u>

नियमित इजराय वाद संख्या–03/2017

श्रीमती उर्मिला मिश्रा –बनाम– राजू आदि

<u>31.10.2018</u>

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। डिक्रीदार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण/निर्णीतऋणीगण अनुपस्थित हैं। डिक्रीदार की ओर से प्रार्थना पत्र 4ईसी2 प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र 4ईसी2 का निस्तारण किये जाने का एवं डिक्रीशुदा सम्पत्ति पर कब्जा दिलाये जाने एवं निर्णीतऋणी को जेल भेजे जाने का निवेदन किया गया है तथा प्रार्थना पत्र 4ईसी2 प्रस्तुत करके कथन किया गया है कि श्रीमती उर्मिला देवी उक्त मूलवाद संख्या–125/2006 न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष संख्या–23 एटा श्रीमती उर्मिला देवी मिश्रा बनाम श्री राजू आदि प्रस्तुत किया था, जो सुरेन्द्र सिंह पी0सी0सी0 (जे0) जज न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष संख्या–23 एटा के निर्णय आज्ञप्ति दिनॉक 11.05.2011 के अन्तर्गत निम्न निर्णय दिया कि वादिनी का वाद सव्यय आज्ञप्ति किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को वजरिये स्थाई निषेधाज्ञा सदैव के लिए निषेधित किया जाता है कि गाटा संख्या 247 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर खाली पड़े आराजी स्थित अकबरपुर हवेली परगना व तहसील जलेसर, जिला एटा में स्वयं नौकरों, एजेण्टों या किसी अन्य माध्यम से वादिनी डिक्रीदार के अध्यासन वाले स्थल पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें और रिपोर्ट कमीशन कागज संख्या 11सी2/1 लगायत 11सी2/2 को डिक्री का अंग बनाया जाये।

उक्त सम्पत्ति को उक्त रिपोर्ट कमीशन एवं उसके साथ संलग्नक मानचित्र में शब्द जी,एफ,डी,एच से दर्शाया गया है, पर कब्जा करके झौपड़ी आदि डालना चाहते हैं, जिसका कि उक्त मदयूनान को कोई अधिकार नहीं है। मदयूनान अपने नापाक इरादों एवं कृत्यों हेतु दिनॉक 15.04.2013 को स्थल पर आये, लेकिन डिक्रीदारान के मना करने पर आमादा झगड़ा हुऐ मदयूनान न्यायालय के निर्णय एवं आज्ञप्ति का अनुपालन न्यायालय से सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है। इसलिए उनको सिविल जेल भेजा जाये। इसके अतिरिक्त मदूयनान के जिम्मे उक्त मूलवाद के व्यय की आज्ञप्ति मुव0–3570/–रूपये की हुयी है। उक्त धनराशि को भी डिक्रीदारान मदयूनान से वसूल कर पाने के अधिकारी है, जिसके हेतु उनको गिरफ्तार करके सिविल जेल भेजा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि मदयूनान को निर्देशित किया जावे कि वह निर्णय व आज्ञप्ति दिनॉक 17.05.2011/26.05.2011 न्यायालय के निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनॉक 17.05.2011/25.05.2011 का अनुपालन करते हुए

डिक्रीदारान के शान्तिप्रिय अध्यासन में अवरोध न करें तथा ऐसा न करें तब मदयूनान को गिरफ्तार किया जावे और उन्हें सिविल जेल भेजा जाकर मदयूनान से निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनॉक 17.05.2011/25.05.2011 का अनुपालन कराये तथा इसी प्रकार मदयूनान को निर्देशित किया जावे कि वह वाद व्यय की डिक्रीशुदा रकम मुव0–3570/–रूपये न्यायालय द्वारा निर्धारित समय में डिक्रीदारान की डिक्रीशुदा रकम वाद व्यय डिक्रीदारान को वसूल कराये जावे।

डिक्रीदार की ओर से उक्त कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल डिक्री मय रिपोर्ट कमीशन कागज संख्या 6सी1/1 लगायत 6सी1/4, शपथपत्र कागज संख्या 7सी2 भगवत स्वरूप मिश्रा दाखिल किया गया है एवं फेहरिस्त कागज संख्या 8सी1 से 3 किता कागजात, जिसमें प्रमाणित आदेश दिनॉकित 18.05.2015 अपील संख्या–45/2011 राजू आदि बनाम श्रीमती उर्मिला मिश्रा आदि कागज संख्या 9सी1/1 लगायत 9सी1/6, डिक्री प्रमाणित पत्र आदेश संख्या–48ई एक्स ए1 कागज संख्या 10सी1/1 लगायत 10सी1/2 एवं प्रमाणित पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनॉकित 18.12.2014 कागज संख्या 11सी1 दाखिल किया गया है। पत्रावली पर रिपोर्ट कमीशन कागज संख्या 14सी2/1 मय नक्शा 14सी2/2 दाखिल है।

प्रस्तुत वाद में विपक्षीगण पर दिनॉक 07.12.2015 को तामीला पर्याप्त माना गया। तामीला पर्याप्त होने के पश्चात भी वाद में विपक्षीगण/निर्णीतऋणीगण आपत्ति करने हेतु उपस्थित नहीं आये। विपक्षीगण को आपत्ति करने का अनेकों बार अवसर दिये गये, परन्तु विपक्षीगण/निर्णीतऋणीगण आपत्ति करने हेतु उपस्थित नहीं आये। ऐसी स्थिति में डिक्रीदार को सुना गया।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि डिक्रीदार भगवत स्वरूप, अरूण कुमार एवं त्रिलोकी नाथ के द्वारा यह निष्पादन वाद न्यायालय के समक्ष दिनॉक 08.04.2013 को निर्णय दिनॉकित 11.05.2011 के अनुपालन कराये जाने हेतु दायर किया गया है। निष्पादन वाद संख्या–03/2017 डिक्रीदार की ओर से दायर करके न्यायालय से निवेदन किया गया है कि मदयूनान को डिक्री दिनॉकित 11.05.2011 के अनुपालन में सिविल जेल भेजा जावे तथा मूलवाद के व्यय की आज्ञप्ति मुव0–3570/–रूपये वसूल कर डिक्रीदार को प्रदान किया जावे। डिक्रीदार की ओर से अपने कथन के समर्थन में फेहरिस्त 5सी2 से एक किता सर्टिफाइड नकल डिक्री

कागज संख्या 6सी2/1 लगायत 6सी2/5 दाखिल किया गया है, जिसके परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि डिक्रीदार श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री भगवत स्परूप की ओर से एक मूलवाद संख्या–123/2006 विरूद्ध राजू व श्रीमती प्रेमवती दायर किया गया था, जो कि दिनॉक 11.05.2011 को निर्णीत हुआ तथा वादीगण/डिक्रीदार के पक्ष में निर्णय पारित की गयी तथा वादीगण/डिक्रीदार के पक्ष में यह निर्णय पारित किया गया कि, ''वादिनी का दावा सब्यय आज्ञप्ति किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा सदैव के लिए निषेधित किया जाता है कि गाटा संख्या 247 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर खाली पड़े आराजी स्थित अकबरपुर हवेली परगना व तहसील जलेसर, जिला एटा में स्वयं नौकरों, एजेण्टों या किसी अन्य माध्यम से वादिनी के अध्यासन वाले स्थल पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें और रिपोर्ट कमीशन कागज संख्या 11सी2/1 लगायत 11सी2/2 को डिक्री का अंग रहेगा।,'' इस प्रकार इस निर्णय के आधार पर दिनॉक 25.05.2011 को आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में जारी की गयी, जिसके अनुपालन हेतु डिक्रीदार की ओर से यह इजराय वाद संख्या–3/2017 दायर किया गया है। मूलवाद संख्या–123/2006 निष्पादन वाद के साथ संलग्नित है, जिसका न्यायालय द्वारा सम्यक परिशीलन किया गया। निष्पादन वाद में डिक्रीदार की ओर से मूलवाद संख्या–123/2006 की रिपोर्ट कमीशन की छायाप्रति 6सी2/3 दाखिल की गयी है तथा निष्पादन वाद संख्या–3/2017 में भी रिपोर्ट कमीशन न्यायालय के द्वारा आहूत की गयी, जो कमिश्नर द्वारा कमीशन मय नक्शा कागज संख्या 14सी2/1 लगायत 14सी2/2 दाखिल किया गया है। डिक्रीदार के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 4सी2 में गाटा संख्या 246 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर खाली पड़े आराजी स्थित अकबरपुर हवेली, परगना व तहसील जलेसर, जिला एटा के बावत निष्पादन अनुतोष चाहा गया है, परन्तु निष्पादन वाद में दाखिल रिपोर्ट कमीशन 14सी2/1 लगायत 14सी2/2 में कमिश्नर महोदय द्वारा यह आख्या दी गयी है कि, ''डिक्रीदार ने बताया कि मदयूनान विवादित आराजी पर निमार्ण कर लेना चाहते हैं और डिक्री के आदेश की अवहेलना कर रहे है। डी,एच की आराजी के पूर्वी ओर नाला गाटा संख्या 330 पर झौपड़ी उठा ली है और मकानात राजू, भूप सिंह, प्रकाश, अशोक, राजा राम के घरों के नक्शे पूर्वी की ओर पटरी पर है। पश्चिम में झाड़ी झंकड़ खड़े हैं। पेड़ बबूल के खड़े हैं। बिजली के पोल हैं। निरीक्षण के समय डिक्रीदार संख्या–1 ने बताया कि दक्षिण ओर कच्चा रास्ता हमारा प्राईवेट है, जिसके बाद कब्रिस्तान की दीवार और मदयूनान आराजी पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।, '' अमीन कमिश्नर महोदय के द्वारा दी गयी उपरोक्त रिपोर्ट पर डिक्रीदार के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की है तथा यह कथन किया है कि अमीन कमिश्नर महोदय के द्वारा सही रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। चूॅकि अमीन

कमिश्नर की रिपोर्ट से यह साबित है कि निर्णीतऋणी डिक्रीशुदा आराजी के पूर्व की ओर खाली गाटा संख्या 330 पर झौपड़ी डाल लिया है, न कि डिक्रीशुदा सम्पत्ति गाटा संख्या 247 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर खाली पड़ी जमीन पर। डिक्रीदार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 4ईसी2 में स्वयं कथन किया है कि निर्णीतऋणी डिक्रीदार की सम्पत्ति पर कब्जा का प्रयास कर रहे है। अर्थात निर्णीतऋणी के द्व ारा डिक्रीदार की सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं किया गया है। जो कि कमीशन रिपोर्ट से भी स्पष्ट होता है। ऐसी स्थिति में यदि निर्णीतऋणी द्वारा डिक्रीदार की सम्पत्ति पर किसी प्रकार से कब्जा नहीं किया गया है तो निर्णीतऋणी को सिविल कारागार भेजे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः उपरोक्त मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा दाखिल दस्तावेजी साक्ष्यों व रिपोर्ट कमीशन से यह स्पष्ट होता है कि निर्णीतऋणी द्वारा डिक्रीशुदा सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं किया गया है तथा केवल डिक्रीदार के कथनानुसार कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 4ईसी2 पोषणीय नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है।

<u>—आदेश—</u>

डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4ईसी2 खारिज किया जाता है। तद्नुसार निष्पादन वाद खारिज। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (जू0डि0),
जलेसर, एटा।